

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डिक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाडा (राज.)

2025/111 ✓

किरम मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-128 पार्श्वगत	81/25	8/4/25		28/4/25 26/5/25

अनवान

श्री

श्री श्रीमती पत्नी राज कुमार

श्री नारायण पुत्र लीताराम

निवासी कैरवा

निवासी कैरवा

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रैस्पोंडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री M-K-D

श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

Form I

जज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मकान

बिजौलियां, भीलवाड़ा

श्रीमति बी.

नाम

नारायण

फिरम नुम्बर 111-128

प्रकरण संख्या 81 सन 2025

तारीख
2025
8/4

हुम या काशवाली मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
तारीख
अहकम जो
इस हुकम की
तामील में
जारी हुए

प्रार्थना-पत्र सीमे से वाद जाच पेश हुआ। अधिवक्ता पार्थी उपस्थित। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों की तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना-पत्र, विपक्षीगणों को भेजी जावें। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 28/5/25 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् B.O. सा. कोरे पर है। पत्रावली दिनांक 28/5/25 को वास्त 3- माफिया हो।

उपखण्ड अधिकारी

28/4/25
28/5/25

पत्रावली पेश हुई। सम्मन विपक्षी को वास्त तामील प्राप्त हुई, जिले शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी को उन्नार माफिया माफिया गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षी को सिविल छ-पक्षीय माफिया पारित किए गए। पत्रावली में माफिया पारित किए गए। पत्रावली उन्नार से कम होकर, दाखिल दफतर हो

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा